3/7/2025

पत्रावली पेश हुई। बकु. 84। विवादित आराजी खसरा नं. 1983/1586 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम लुहाला तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लज्जापत न को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर खसरा नं. 2064/1584 ग्राम लुहाला की आड़ में वादी को इसके खातेदारी काश्तकारी के उक्त खसरा नम्बर में दखलंदाजी नहीं करें और न ही वादिनी के खसरा नंबरान में मदाखलत, मजाहमत करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उ0 राजाराम बनाम कुंगरसिंह वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 3/2021 व हाजरी वादी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दइ व ....

डिकरी दी जाती है कि

वादी के विवादित आराजी खसरा नंबर 1983/1586 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके लुहासा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 2064/1584 ग्राम लुहासा की आड में वादी को उसके खातेदारी काश्तकारी के उक्त खसरा नंबर में कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें और न ही वादिनी के खसरा नंबरान में मदाखलत मजाहमत करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग ––––––– बावत ––––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख......03/07/25...... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. राजाराम पुत्र चरनसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील न… भरतपुर।

वादी

बनाम

1. कुमरसिंह पुत्र परमसुंख जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई … भरतपुर।
2. जीतेन्द्र पुत्र गणेशी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई … भरतपुर।
3. रवि कुमार पुत्र अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजेश कुमार पुत्र अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. रवीना पुत्री अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. वीरवती बेवा अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

3/7/25

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 3/2021
सी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/8
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 03.07.2025

1. राजाराम पुत्र चरनसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. कुमरसिंह पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जीतेन्द्र पुत्र गणेशी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रवि कुमार पुत्र अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजेश कुमार पुत्र अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. रवीना पुत्री अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. वीरवती बेवा अतरसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री जगवीर सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड.(प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं। दावा लडने योग्य हैं।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 1983/1586 [illegible] ग्राम लुहासा तहसील नदबई में स्थित है। जो कि वादी की [illegible] की आराजी है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि वादी की खातेदारी खसरा नंबर 1883/1586 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी का खसरा नंबर 2084/1584 रकबा 0.0128 वाके ग्राम लुहासा लगा हुआ है। जिसकी आड में वादी के रकबा पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा दिनांक 20.11.2020 को खुलेआम धमकी दी है कि वह अपने आराजा खसरा नंबर 2084/1584 की आड में अपने हिस्से से अधिक आराजी पर वादी के खसरा नंबर 1883/1586 पर जबरन कब्जा करके रहेंगे और वादी को वादी की आराजी से बेदखल कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी खसरा नंबर में अपने खसरा नंबर 2084/1584 की आड में कब्जा न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे एवं वादी को उसके रकबा से बेदखल न करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रतिवादीगण की खातेदारी का खसरा नंबर 2084/1584 रकबा 0.0128 वाके लुहासा स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगण मौके पर लगातार अपने हिस्से पर काश्त करते रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा जरिए रजि0 बयनामा दो लाख साठ हजार रुपए में कन्हैयालाल पुत्र बादाम जाटव निवासी नदबई को बेचान कर दिया गया है तथा मौके पर कन्हैयालाल काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा अथवा क्रेता कन्हैयालाल द्वारा कभी भी वादी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा नहीं किया है तथा ना ही कब्जा करने की कोई धमकी दी है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है।

2. यह कि न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार वादी एवं हम प्रतिवादीगण के खसरा नंबरान की पैमाईश हो चुकी है। जिसमें सभी पर रकबा अपने अपने हिस्से का बताया है किसी पर कम ज्यादा रकबा नहीं बताया है। इसलिए दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है काबिल खारिजी के है।

3. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 20.11.2020 को या किसी अन्य तिथि को कोई धमकी नहीं दी गई है इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन दावा ... बिना कॉज ऑफ एक्शन दावा चलने योग्य नहीं है इस... दावा ...बिल खारिजी के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

3/3/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा के आधार पर वादपत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया विवादित खसरा नंबर 1983/1586 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके लुहासा वादी की खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादीगण अपने खसरा नंबर 2064/1584 की आड में वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण प्रतिवादीगण को कब्जा न करने बाबत् पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

   – जिम्मेवादी

2. आया विवादित आराजी के खसरा नंबर के पास प्रतिवादीगण के खसरा नंबर की पैमाईश हो चुकी है। दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो काबिल खारिजी के है। – जिम्मेप्रतिवादीगण

3. दीगर दादरसी।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम लुहासा प्रदर्श 1 पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में राज़ाराम पुत्र चरनसिंह जाति जाटव निवासी लुहासा के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी पेश नहीं किया। मौखिक साक्ष्य के रूप में कुमरसिंह पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी लुहासा, पेश किए गए तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया विवादित खसरा नंबर 1983/1586 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके लुहासा वादी की खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादीगण अपने खसरा नंबर 2064/1584 की आड में वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण प्रतिवादीगण को कब्जा न करने बाबत् पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2075–78 से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित खसरा नंबर वादी की खातेदारी का रकबा है। एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 2064/1584 की आड में [illegible] किया जा रहा है। तहसीलदार नदबई की पैमाईश रिपोर्ट [illegible] भी [illegible] स्पष्ट नहीं किया गया कि वादी की विवादित आराजी का रक[illegible] है अथवा नहीं चूंकि दावा वादी विवादित [illegible] द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

3/3/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा करने हेतु था अतः किसी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को उसके खातेदारी के रकबा में किसी अन्य का कब्जा/हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी के खसरा नंबर के पास प्रतिवादीगण के खसरा नंबर की पैमाईश हो चुकी है। दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। चूंकि विवादित आराजी के समीप स्थित प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 2064/1584 ग्राम लुहासा की पैमाईश हो चुकी है एवं पैमाईश रिपोर्ट तहसीलदार नदबई से प्राप्त है। परन्तु पैमाईश रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित खसरा नंबर पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है अथवा किसी अन्य द्वारा। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादी व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी पर रिकॉर्डेड खातेदार है एवं खातेदार की आराजी पर काश्त में दखलंदाजी करने का प्रतिवादीगण एवं अन्य किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि वादी के विवादित आराजी खसरा नंबर 1983/1586 रकबा 0.19 हैक्ट0 वाके लुहासा तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 2064/1584 ग्राम लुहासा की आड में वादी को उसके खातेदारी काश्तकारी के उक्त खसरा नंबर में कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें और न ही वादिनी के खसरा नंबरान में मदाखलत मजाहमत करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.7.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3/7/25
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner